फर्द अहकाम

नाम न्यायालय – सहायक कलेक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान ....पूरणमल.... बनाम ....गीता ओर....

मुकदमा संख्या– वा- 181/2022

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
05/08/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर। पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हुई। उभयपक्षों की बहस व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन करने पर न्यायालय यह पाता है कि विवादित आराजी प्रार्थी/अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय–वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 की भूमि ग्राम निवारू, भू0अ0नि0 क्षैत्र झोटवाडा, तहसील जयपुर स्थिति खसरा नम्बर 181/530 रकबा 0.4932 है0, खसरा नम्बर 184 रकबा 0.6197 है0, खसरा नम्बर 185 रकबा 0.5059 है0, खसरा नम्बर 187 रकबा 0. 7461 है0, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.2150 है0, खसरा नम्बर 194 रकबा 0.1391 है0 पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद करता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया जावे। निर्णय आज दिनांक......05/08/2024...... को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	